न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–76 / 2023 दायर दिनांक:–21.06.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 210

1. उर्मिला पत्नि राजु पुत्री रतनलाल उम्र 45 साल जाति मीना निवासी सनेटकापुरा हाल कुडावदा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
2. रामा पत्नि हर्जी पुत्री रतनलाल उम्र 60 साल जाति मीना निवासी सनेटकापुरा हाल निवासी सेमरदा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

————सायलान–02

बनाम

1. पप्पु उम्र 40 साल
2. मुनेश उम्र 38 साल
3. बलराम उम्र 35 साल
4. कल्लू उम्र 33 साल
5. राजीव उम्र 30 साल

(1–5) पिसरान मुरारी

6. मुरारी पुत्र दिल्लु उम्र 65 साल
7. हितेश पुत्र पप्पु उम्र 26 साल
8. आकाश पुत्र बबलू उम्र 25 साल
9. संतो पत्नि बब्लू उम्र 34 साल
10. अनिता पत्नि पप्पू उम्र 37 साल
11. ममता पत्नि मुनेश उम्र 36 साल
12. प्रियंका पत्नि कल्लू उम्र 30 साल

(1–12) जाति मीना निवासी सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0।

13. आशा पत्नि राजीव उम्र 23 साल जाति मीना निवासी सनेट का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
14. मगन उर्फ टुण्डे पुत्र मनोहरी उम्र साल जाति मीना निवासी मोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0।

——गैरसायलान–03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री मोहन अवस्थी सायल

2. श्री मुरारीलाल करसौलिया गैरसायल

निर्णय

दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र [illegible] 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 8 व पुराना 39 के अनुसार आराजीयात खसरा न0 103 रकबा 10 ऐयर, 62 रकबा [illegible] ऐयर, 63 रकबा 43 ऐयर, 64 रकबा 25 ऐयर, 65 रकबा 24 ऐयर, 66 रकबा 33 ऐयर, [illegible] रकबा 02 ऐयर, 68 रकबा [illegible] कुल किता 8 कुल रकबा 2.18 है0 वाके ग्राम सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सायल नम्बर 1 का 1/48 हिस्सा व सायला सं0 02 का 1/48 हिस्सा है और सायलान अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 1 वाद पत्र का बाहमद बंटवारा हो चुका है और बाहमी बंटवारा के अनुसार सायलान के हिस्से के हिस्से में भूमि खसरा न0 68 रकबा 40 ऐयर आयी है, और सायलान अपने उक्त आराजी खसरा न0 68 रकबा 44 ऐयर वाके ग्राम सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी पर काबिज व दखील चले आ रहे है। सायलान अपनी उक्त आराजी खसरा न0 68 रकबा 44 ऐयर को शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है, और फसल बोने फसल पकने पर दरोह भी सायलान, ही करते चले आ है।

सायलान की उक्त आराजी भूमि खसरा न0 68 रकबा 40 ऐयर से किसी अन्य का कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है। तथा गैरसायालान का भी कोई लेना देना नहीं है। गैरसायलान का किसी भी रूप में लेना देना नहीं है।

गैरसायलान आदमी वाले व पैसे वाले खूखांर व्यक्ति है जो कि सीधे सादे लोगों की जमीन पर आये दिन नाजायज कब्जा करते रहते है। और उनको बेदखल कर जबरन परेशान करते है, गैरसायलान की नीयत में बदयाति है और गैरसायलान सायलान की उक्त भूमि में जबरन कब्जा कर पुख्ता मकान निर्माण करना चाहते है और जबरन सायलान को बेदखल करने पर आमदा है। आये दिन गैरसायालान सायलान से झगडा फिसाद करते रहते है, तथा जबरन सायलान की भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने पर आमदा है।

घटना दिनांक 16.04.2023 को समय करीब सुबह 9 बजे की है सायलान अपनी उक्त आराजीयात की सार संभाल कर रही थी कि अचानक गैरसायालन नम्बर 1 लगायत 14 अपने साथ अपने हमराहियान सायलान की उक्त भूमि में घुस आये तथा अपने साथ 10 ट्रोली खण्डा व 3 ट्रोली बजरी लेकर आ गये सायलान ने कहा कि आप हमारी जमीन पर क्यों आये हो और इन ट्रेक्टरों में पत्थर बजरी क्यों लाये हो, इस पर गैरसायलान ने कहा कि हम तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए तुम्हारी भूमि में पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर देगें। सायालन ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियों से भी समझाया लेकिन गेरसायलान अज खुद मानने को तेयार नहीं है, तथा अपनी हठधर्मी पर आमदा है, यदि गैरसायलान अपनी बेजा हरकतों में सफल [illegible] सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार [illegible] कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गेरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पांबद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान को उनकी अराजीयात मुतजिक्रा मद 2 प्रार्थना पत्र में खसरा न0 68 रकबा 40 ऐयर वाके ग्राम सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी की जो उनकी 1/48, 1/48 हिस्से की जमीन है को सायलान को

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। काश्त करने देवे तथा गैरसायलान सायलान को उनकी उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे, तथा सायलान की उक्त कृषि भूमि में कोई पुख्ता निर्माण नीम खोदकर नहीं करे तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 1 ता 14 की ओर से मुरारीलाल करसौलिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाव पेश किया गया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047, 2071–74 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायला का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 53 खसरा नं0 103, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 वाके ग्राम सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि विवादित आराजीयात में सायलान द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जमाबंदी से खातेदार होना प्रतीत होता हैं। ना ही सायला ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में सायला का कब्जा काश्त हो एवं गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों के अनसुार उक्त विवादित आरजीयात रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी है। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेस केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 68 रकवा 0.40 है0 वाके सनेटकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण में जारी अतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.06.2023 को विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार [illegible] की जाकर मूल दावा के साथ शालि मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक 04.07.2024 को [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन